न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट एवं न्याय निर्णयन अधिकारी, सिरोही
(पीठासीन अधिकारी: गितेश श्री मालवीया, आर.ए.एस.)

आवेदक

श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही

बनाम

प्रतिवादी/अभियुक्त

1. विशाल गर्ग पुत्र श्री दिनेश चन्द गर्ग, जाति- अग्रवाल
   निवासी- 0/5 टी.टी.ई. कॉलोनी, आबूरोड़, जिला- सिरोही
   (मालिक एवं खाद्य कारोबारकर्ता)

फर्म:- मैसर्स नानकचद चम्पालाल, रेल्वे स्टेशन रोड़, सदर बाजार,आबूरोड़, जिला-सिरोही

2. रुबी चावला पत्नि नवीन चावला, 749, सिन्धी कॉलोनी, आदर्श नगर, जयपुर
   (खाद्य कारोबारकर्ता एवं सप्लायर)

फर्म:- चावला सेल्स एजेन्सी, सी- 2, ट्रांसपोर्ट नगर, जयपुर,

3. सलीम अब्दुल्ला मोगल पुत्र अब्दुल्ला अब्दुल रहीमान मोगल,
   (प्रोपराईटर निर्माता फर्म)

M/s Malvis Food Products, Milket No.294, At Godawali,
Post- Khingar, Taluka-Mahabaleshwar, Dist. Satara(Maharashtra)

4- M/s Malvis Food Products, 35/1 Gadawali, Panchagani-412805, Dist-Satara (Maharastra)

प्रकरण संख्या: 07/2017

"अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2(ii) एवं धारा- 52 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006"

उपस्थिति:

1. अधिवक्ता श्री उमाराम देवासी, प्रतिवादी संख्या-1 की ओर से
2. अधिवक्ता श्री दलपत राज परमार, प्रतिवादी संख्या- 2 की ओर से

-: निर्णय :- **दिनांक 05 जनवरी, 2021**

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। आवेदक श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने यह न्याय निर्णयन आवेदन इस न्यायालय में प्रस्तुत कर अनुरोध किया कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 22.5.2016 को फर्म नानकचन्द चम्पालाल, रेल्वे स्टेशन रोड, सदर बाजार, आबूरोड़, जिला- सिरोही पर पॅहुचा। विक्रेता के रुप में उपस्थित व्यक्ति को अपना परिचय दिया तथा परिचय लिया। परिचय लेने पर मालूम हुआ कि यह व्यक्ति विशाल गर्ग पुत्र दिनेश चन्द गर्ग, जाति- अग्रवाल, निवासी- टी.टी.ई. कॉलोनी, आबूरोड़ [illegible] सिरोही उपस्थित मिले, जो फर्म नानक चन्द चम्पालाल पर [illegible] की हैसियत से मौजूद है एवं आम जनता को Synthetic Syrup (Orange Syrup)(Malvis brand) बेचता है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने निरीक्षण करने के दौरान आम जनता के उपयोग में आने वाले खाद्य पदार्थ Synthetic Syrup (Orange Syrup)(Malvis brand) के अमानक होने

Signature Not Verified
Digitally signed by Gitesh Shree Malaviya
Date: 2021.02.23 16:13:07 IST
Reason: SelfAttested

......पेज दो पर

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही-307001.

का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत जांच हेतु नमूना लेने की इच्छा जाहिर की एवं दुकान में आलमारी में बिक्री हेतु मौजूद Synthetic Syrup (Orange Syrup)(Malvis brand) की 8 बोतल (प्रत्येक 750 एम.एल.) में से Synthetic Syrup (Orange Syrup)(Malvis brand) की 4 पैक्ड बोतल (प्रत्येक 750 एम.एल.) खरीदी एवं उसकी कीमत 560/- रुपये अदा की एवं खरीद रसीद प्राप्त की। फार्म संख्या 5ए तैयार किया, खाद्य कारोबारकर्ता व गवाहों के हस्ताक्षर कराये एवं स्वयं मैने हस्ताक्षर किये। फार्म संख्या-5ए की एक प्रति खाद्य कारोबारकर्ता को देकर रसीद प्राप्त की। मूल नमूना खरीद रसीद, मूल फार्म नं. 5ए, सप्लाई बिल न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने लेबल पर कोड एवं सीरीयल नं., दिनांक, स्थान, खाद्य पदार्थ का नाम आदि अंकित कर उस पर खाद्य कारोबारकर्ता, गवाहों के हस्ताक्षर करवाये एवं स्वयं खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अपने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात् खरीद शुदा Synthetic Syrup (Orange Syrup)(Malvis brand) की चारों नमूना बोतलों पर एक-एक लेबल गोंद से चिपकाया। तत्पश्चात् चारों नमूना भागों को अलग अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा व स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही की हस्ताक्षरयुक्त पेपर स्लिप S-594 को नियमानुसार नीचे से उपर तक गोंद से चिपकाया। प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर खाद्य कारोबारकर्ता के हस्ताक्षर व गवाहों के हस्ताक्षर करवाये तथा स्वयं मैनें भी अपने हस्ताक्षर किये। चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौका फर्द रिपोर्ट तैयार की जिसे खाद्य कारोबारकर्ता विशाल गर्ग ने पढ़कर सुनकर, समझ कर सही मानकर हस्ताक्षर किये। फर्द रिपोर्ट पर नमूने को सील करते समय काम में ली गई सील की छाप लगाई। मूल मौका फर्द रिपोर्ट संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पॅहुचकर फार्म नं. 6 की 8 प्रतियां तैयार की व उस पर नमूने को सील्ड करते समय काम में ली गई सील की छाप अंकित की। नमूना के चारों भागों के साथ फार्म नं. 6 की एक-एक प्रति लगाकर नमूने के चारों भागों प्रत्येक को अलग अलग आउटर कवर में बंद किया तथा मजबूत धागे से बांधकर सील चपडी किया तथा फार्म नं. 6 की दो-दो प्रतियां दो लिफाफों में अलग अलग बन्द कर गोंद से चिपकाकर सील चपडी किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दिनांक 23.5.2016 को नमूनें का एक भाग एवं फार्म नं.6 का एक सील बन्द लिफाफा श्री देवाराम, एम.पी.डब्ल्यू. के द्वारा खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की तथा दिनांक 23.5.2016 को ही शेष तीन सील बन्द नमूना भाग मय फार्म नं. 6 का सील बन्द लिफाफा अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही को मैनें स्वयं ने जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही से खाद्य पदार्थ Synthetic Syrup (Orange Syrup)(Malvis brand) की जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई, प्राप्त जांच रिपोर्ट के अनुसार खाद्य कारोबारकर्ता विशाल गर्ग से जांच हेतु लिया गया खाद्य पदार्थ Synthetic Syrup (Orange Syrup)(Malvis brand) का नमूना S-594

Signature Not Verified
Digitally signed by Gitesh Shree Malaviya
Date: 2021.02.23 16:13:07 IST
Reason: SelfAttested

....पेज तीन पर

प्रा. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही-307001.

मिथ्याछाप (Misbranded) पाया गया है। खाद्य कारोबारकर्ता विशाल गर्ग को जांच रिपोर्ट की एक प्रति भिजवाई एवं जांच से असंतुष्ट होने की स्थिति में पुनः जांच का आवेदन फार्म नं. 8 में रिपोर्ट प्राप्ति से 30 दिन में प्रस्तुत करने हेतु सूचित किया, लेकिन पुनः जांच हेतु आवेदन प्राप्त नही हुआ। इस प्रकरण से संबंधित समस्त मूल कागजात मय गजट नोटिफिकेशन, पदस्थान आदेश, एरिया नोटिफिकेशन एवं अनुसंधान में प्राप्त दस्तावेजों के साथ अभियोजन स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किये। प्रकरण में अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही ने सम्पूर्ण पत्रावली का अवलोकन एवं मनन कर प्रतिवादीगण द्वारा मिथ्याछाप (Misbranded) खाद्य पदार्थ Synthetic Syrup (Orange Syrup)(Malvis brand) का निर्माण एवं विक्रय करने को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम्, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन पाया जो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 52 के तहत जुर्माने योग्य उपराध होने से अभियोजन स्वीकृति जारी कर न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के समक्ष न्याय निर्णय आवेदन प्रस्तुत करने हेतु अधिकृत किया गया है। प्रकरण में प्रतिवादीगण द्वारा मिथ्याछाप (Misbranded) खाद्य पदार्थ Synthetic Syrup (Orange Syrup)(Malvis brand) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जो धारा- 52 के तहत जुर्माना योग्य अपराध है। अतः प्रतिवादीगण को जुर्माने से दण्डित किया जावे।

(2) प्रस्तुत आवेदन पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये जाकर विधिवत तामिल करवाई गई। जिस पर प्रकरण की सुनवाई के दौरान प्रतिवादी संख्या-1 की ओर से अधिवक्ता श्री उमाराम देवासी उपस्थित हुये एवं प्रतिवादी संख्या 2 व 3 की ओर से अधिवक्ता श्री दलपत राज परमार उपस्थित हुये। प्रकरण में प्रतिवादी संख्या- 2 व 3 की ओर से लिखित जवाब प्रस्तुत हुआ, लेकिन प्रकरण में प्रतिवादी संख्या-1 की ओर से जवाब प्रस्तुत नही होने के कारण प्रतिवादी संख्या-1 का जवाब बन्द किया गया।

(3) प्रकरण में बहस हेतु नियत दिनांक 05.1.2021 को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी उपस्थित नही हुये। प्रकरण में प्रतिवादीगण के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई। प्रतिवादी संख्या-1 के अधिवक्ता ने बहस के दौरान यह व्यक्त किया कि प्रतिवादी संख्या-1 ने प्रतिवादी संख्या-2 की फर्म से खाद्य पदार्थ Synthetic Syrup (Orange Syrup)(Malvis brand) की पैक्ड बोतलों को मूल कम्पनी पैक अवस्था में प्रतिवादी संख्या- 2 से क्रय की गई एवं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को Synthetic Syrup (Orange Syrup)(Malvis brand) की बोतलें मूल कम्पनी पैक अवस्था में ही विक्रय की गई है। उक्त खाद्य पदार्थ Synthetic Syrup (Orange Syrup)(Malvis brand) का निर्माण निर्माता फर्म ने किया है, इसलिये प्रतिवादी संख्या-1 को इस प्रकरण से मुक्त कि[illegible] बहस के दौरान प्रतिवादी संख्या- 2 व 3 ने के अधिवक्ता ने जवाब में [illegible] त[illegible] की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी [illegible] विधि में प्रदत्त प्रावधानों के अनुार नमूना

....पेज चार पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Gitesh Shree Malaviya
Date: 2021.02.23 16:13:07 IST
Reason: SelfAttested

(सिरोही (राज०))

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही–307001.

लेने की कार्यवाही सम्पादित नही है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 46 की उपधारा 4 के तहत जांच रिपोर्ट की प्रति निर्माता फर्म को नही भिजवाई है जिसके कारण निर्माता फर्म उक्त खाद्य पदार्थ Synthetic Syrup (Orange Syrup)(Malvis brand) के नमूने की रेफरल लेब से पुन: जांच कराने के अधिकार से वंचित रही है। यह कि खाद्य विश्लेषक की जांच रिपोर्ट में खाद्य पदार्थ Synthetic Syrup (Orange Syrup)(Malvis brand) के लेबल पर उक्त खाद्य पदार्थ में उपयोग में ली गई सामग्री का अंकन नही होने के कारण मिसब्राण्ड माना है, इसके अलावा उक्त खाद्य पदार्थ जांच रिपोर्ट में सही पाया गया है। अत: प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन को खारिज किया जावे।

(4) प्रकरण में सुनी गई बहस पर मनन किया एवं न्यायालय पत्रावली का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि दिनांक 22.5.2016 को 1.00 पी.एम. पर आवेदक श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही खाद्य पदार्थो के निरीक्षण हेतु फर्म नानकचन्द चम्पालाल, रेल्वे स्टेशन, सदर बाजार, आबूरोड़ पर पँहुचा। वहां पर मालिक एवं खाद्य कारोबारकर्ता की हैसियत से विशाल गर्ग पुत्र श्री दिनेश चन्द गर्ग, जाति- अग्रवाल, निवासी- टी.टी.ई. कॉलानी, आबूरोड़, जिला- सिरोही है एवं फर्म नानकचन्द चम्पालाल, रेल्वे स्टेशन, सदर बाजार, आबूरोड़ पर खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक की हैसियत से मौजूद है जो आम जनता के उपयोग हेतु खाद्य पदार्थ Synthetic Syrup (Orange Syrup)(Malvis brand) का विक्रय करता है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने निरीक्षण करने के दौरान आम जनता के उपयोग आने वाले खाद्य पदार्थ Synthetic Syrup (Orange Syrup) (Malvis brand) के अमानक होने का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत जांच हेतु नमूना क्रय करने की सूचना उपस्थित गवाह श्री नवलसिंह, वार्ड बॉय, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही एवं श्री गौरव गर्ग पुत्र स्वदेश चन्द गर्ग, 15 टी.टी.ई. कॉलोनी, आबूरोड़, जिला- सिरोही के समक्ष विक्रेता विशाल गर्ग को खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम, 20011 के नियम 2.4.1(3) के तहत प्रपत्र संख्या 5ए में लिखित में दी व प्रपत्र 5ए की दूसरी प्रति पर रसीद प्राप्त की। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दुकान की आलमारी में बिक्री हेतु रखे हुए खाद्य पदार्थ Synthetic Syrup (Orange Syrup)(Malvis brand) की 8 पैक्ड बोतलों (प्रत्येक 750 एम.एल.) में से Synthetic Syrup (Orange Syrup)(Malvis brand) की 4 पैक्ड बोतलें (प्रत्येक 750 एम.एल.) क्रय की एवं उसकी कीमत राशि रुपये 560/- (अक्षरे रुपये पांच सौ साठ मात्र) अदा कर क्रय करने की रसीद तैयार कर रसीद बिल प्राप्त किया। प्रपत्र संख्या 5ए, नमूना खरीद रसीद बिल मूल ही न्यायालय पत्रावली पर उपलब्ध है जिन पर खाद्य कारोबारकर्ता विशाल गर्ग व उक्त गवाहान तथा आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर किये हुये है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर नमूने के लेबलों पर अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के कोड एवं क्रमांक S-594, दिनांक, खाद्य पदार्थ का नाम, नमूना लेने का स्थान आदि अंकित कर प्रत्येक लेबल पर उक्त

....पेज पांच पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Gitesh Shree Malaviya
Date: 2021.02.23 16:13:07 IST
Reason: SelfAttested

प्रति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही-307001.

विक्रेता विशाल गर्ग व गवाहान के नियमानुसार हस्ताक्षर करवाये एवं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीद शुदा Synthetic Syrup (Orange Syrup)(Malvis brand) की चारों नमूना बोतलों पर एक-एक लेबल गोंद से चिपकाया और चारों नमूना भागों को अलग अलग कागज में लपेट कर प्रत्येक नमूना भाग पर अभिहित अधिकारी की हस्ताक्षरयुक्त पेपर स्लिप S-594 को नियमानुसार गोद से चिपकया व प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांध कर सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भागों पर विक्रेता विशाल गर्ग व गवाहान के हस्ताक्षर कराये और आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात् चारों नमूनों भागों को खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अपने कब्जे/जापते में लिया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौका फर्द रिपोर्ट तैयार की, जिस पर विक्रेता विशाल गर्ग व गवाहान तथा खाद्य सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर किये हुये है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा आवेदन के साथ प्रस्तुत मूल दस्तावेज फार्म नम्बर 5ए, खाद्य पदार्थ कय की रसीद बिल एवं मौका फर्द आदि के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फर्म नानकचन्द चम्पालाल, स्टेशन रोड, सदर बाजार, आबूरोड, जिला- सिरोही में खाद्य कारोबारकर्ता एवं विक्रेता विशाल गर्ग से खाद्य पदार्थ Synthetic Syrup (Orange Syrup)(Malvis brand)को खाद्य पदार्थ एवं सुरक्षा अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच कय करने की कार्यवाही विधिवत की गई है। तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने उक्त चारों नमूना भागों को साथ लेकर कार्यालय पॅहुचकर फार्म नम्बर-6 की 8 प्रतियां तैयार की एवं उस पर नमूने को सील्ड करते समय काम में ली गई सील की छाप अंकित की, नमूना के चारों पैक पैकेटो के साथ फार्म नम्बर-6 की एक एक प्रति लगाकर चारों नमूना भागों को प्रत्येक को अलग अलग आउटर कवर में बंद किया व धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपडी किया एवं फार्म नम्बर- 6 की दो-दो प्रतियां दो लिफाफो में अलग से बंद कर सील चपडी किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दिनांक 23.5.2016 को नमूने का एक भाग व फार्म नम्बर-6 का एक सील बन्द लिफावा श्री देवाराम, एम.पी.डब्लयू, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सिरोही के द्वारा खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को विश्लेषण जांच हेतु जमा करवाकर रसीद प्राप्त की, जो पत्रावली पर उपलब्ध है एवं उस पर खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की नमूना प्राप्ति की रसीद अंकित है। साथ ही, नमूने के द्वितीय, तृतीय व चतुर्थ भाग मय फार्म नं. 6 का सील बन्द लिफाफा आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही को दिनांक 23.5.2016 को जमा कराकर रसीद प्राप्त की गई। विचारणीय प्रकरण में खाद्य पदार्थ Synthetic Syrup (Orange Syrup)(Malvis brand) के नमूना संख्या S-594 की खाद्य विश्लेषक, जोधपुर द्वारा प्रस्तुत विश्लेषण जांच रिपोर्ट क्रमांक:L.S./637/Act/2016/682 दिनांक 20.6.2016 के अनुसार आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा फर्म नानकचन्द चम्पालाल, रेल्वे स्टेशन, सदर बाजार, आबूरोड में खाद्य कारोबारकर्ता एवं विक्रेता प्रतिवादी विशाल गर्ग से वास्ते जांच कय किया गया खाद्य पदार्थ Synthetic Syrup (Orange Syrup)(Malvis brand) का नमूना मिथ्याछाप (Misbranded) पाया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Gitesh Shree Malaviya
Date: 2021.02.23 16:13:07 IST
Reason: SelfAttested

.....पेज छः पर

सिरोही (राज०)

सिरोही-307001.

पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की उक्त जांच रिपोर्ट की प्रति मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही (अभिहित अधिकारी) के पत्र क्रमांक/एफएसएसए/2016/3670-71 दिनांक 11.7.2016 से प्रतिवादी विशाल गर्ग को प्रेषित कर जांच रिपोर्ट से असंतुष्ट होने की स्थिति में अपील आवेदन प्रारुप-8 में 30 दिवस के भीतर प्रस्तुत करने हेतु सूचित किया गया, लेकिन संबंधित ने अपील आवेदन प्रस्तुत नही किया। पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि प्रतिवादी विशाल गर्ग की फर्म नानकचन्द चम्पालाल, सदर बाजार, आबूरोड ने बिल/इनवोइस नम्बर G/67 दिनांक 05.5.2016 से उक्त खाद्य पदार्थ Synthetic Syrup (Orange Syrup)(Malvis brand) की पैक्ड बोतलें चावला सेल्स एजेन्सीज, सी-2, ट्रांसपोर्ट, जयपुर से क्रय की थी जो कि प्रतिवादी संख्या- 2 (रुबी चावला) की फर्म है। प्रतिवादी संख्या- 2 (रुबी चावला) की फर्म चावला सेल्स एजेन्सीज, सी- 2 ट्रांसपोर्ट नगर, जयपुर द्वारा Synthetic Syrup (Orange Syrup)(Malvis brand) की पैक्ड बोतलों को फर्म Malvis Food Products से इनवोईस नम्बर 420 दिनांक 28.4.2016 के द्वारा क्रय किया गया था, जो की Synthetic Syrup (Orange Syrup)(Malvis brand) की निर्माता फर्म है। इस प्रकार, प्रकरण में यह तथ्य स्पष्ट है कि निर्माता फर्म Malvis Food Products द्वारा मिथ्याछाप (Misbranded)खाद्य पदार्थ Malvis Food Products का निर्माण, पैकिंग एवं विक्रय किया है, जो उक्त अधिनियम की धारा 26 की उपधारा-2(ii) का उल्लंघन है एवं इस अधिनियम की धारा 52 के तहत जुर्माने योग्य अपराध है।

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 80 के तहत प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को दोष मुक्त किया जाकर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 68 की उपधारा-(1) के तहत राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.1(2)कार्मिक/क-4/08 दिनांक 05.4.2012 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा-52 के तहत सलीम अब्दुल्ला मोगल पुत्र अब्दुल्ला अब्दुल रहीमान मोगल, प्रोपराईटर, निर्माता फर्म Malvis Food Products, Milket No.294, At. Godawali, Post-khinger, Taluka-Mahabaleshwar, Dist-Satara (Maharashtra), निर्माता फर्म M/s Malvis Food Products, 35/1, Godawali, Panchgani-412805, Dist. Satara (Maharastra) पर राशि रुपये 25,000/- (अक्षरे रुपये पच्चीस हजार मात्र) की शास्ति (Penalty) अधिरोपित की जाती है। निर्माता फर्म Malvis Food Products के प्रोपराईटर प्रतिवादी सलीम अब्दुल्ला मोगल को आदेशित किया जाता है कि निर्माता फर्म Malvis Food Products पर आरोपित उक्त जुर्माना राशि का राष्ट्रीयकृत बैंक से न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के पक्ष में Crossed Demand Draft जिसका भुगतान सिरोही शहर में प्राप्त हो सके बनवाकर अति0 जिला मजिस्टेट, सिरोही के कार्यालय में 30 दिवस के भीतर जमा करवाये। निर्णय सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Gitesh Shree Malaviya
Date: 2021.02.23 16:13:07 IST
Reason: SelfAttested

5/1/2021

(गितेश श्री मालवीया)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,
सिरोही